



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

सत्र जुलाई 2026 में प्रारंभ नवीन स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु

क्र	पाठ्यक्रम	ऐच्छिक (Open Elective) विषय	संचालक विभाग
2	स्नातक (प्रत्येक विषय में 3 क्रेडिट)	Project Work (1 st Semester BLIS)	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
		Public Library and Information System (1 st Semester BLIS)	
		Indian Knowledge System (2 nd Semester BLIS)	
		School and Media Library (2 nd Semester BLIS)	
		Business Environment (1 st Semester BBAEC)	मीडिया प्रबंधन
		Consumer Behavior (2 nd Semester BBAEC)	
		Customer Relationship Management (3 rd Semester BBAEC)	
		Corporate Communication, Advertising and PR (4 th Semester BBAEC)	
		Retail Management (5 th Semester BBAEC)	नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी विभाग
		Event Management (6 th Semester BBAEC)	
		Computer Essentials With AI (1 st Semester BSCGA)	
		Digital Content Creation (2 nd Semester BSCGA)	
		Character Animation (3 rd Semester BSCGA)	
		Advertising for New Media (4 th Semester BSCGA)	
		Data Analytics for Journalism (5 th Semester BSCGA)	
		Social Media Data Analytics (6 th Semester BSCGA)	
		Introduction to Python Programming (1 st Semester BTECHPP)	
		Advanced Manufacturing Processes (2 nd Semester BTECHPP)	

विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम में इन ऐच्छिक विषयों में से किसी एक का प्रत्येक सत्र में चयन कर संबंधित विभाग, परिसर में इसका अध्ययन करेंगे।

CBCS पद्धति के नये पाठ्यक्रम संबंधित विभाग से अथवा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in के Download सेक्शन से डाउनलोड/प्राप्त किये जा सकते हैं।

(प्रो. पी. शशिकला)

प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 08.10.2026

पृ.क्र./अका./2026/ 2538

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलगुरु, निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. डीन अकादमिक को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ परिसर प्रभारी/समन्वयक को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ।
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
8. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. पी. शशिकला)

प्रभारी कुलसचिव